THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES) ACT, 1978

[U.P. Act No. 5 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

CONTENTS

Sections

1- Short title, extent and Commencement.
2- Definitions.
3- Recovery of wages in certain industrial establishments as arrear of land revenue.
4- Powers of Labour Commissioner.
5- Penalties.
6- Offences by companies.
7- Protection for action taken in good faith.
8- Rule making power.
9- Repeal ad saving.

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1978}

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES) ACT, 1978

[U. P. Act No. 5 of 1978]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1978}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को प्रकाशित हुआ।}

औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के हित में, बड़े औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी का यथासमय संदाय और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का सथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 12 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

उ0प्र0 ऐक्ट सं0 28, सन् 1947 में नई धारा 2–क का बढ़ाया जाना

2–– इस अधिनियम में :–

(क) ''औद्योगिक अधिष्ठान'' का तात्पर्य किसी कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान से है, जिसमें वस्तुएं प्रयोग, परिवहन या बिक्री के उद्देश्य से उत्पादित, प्रसंकृत, अनुकूलित या विनिर्मित की जाती है;

(ख) ''श्रम आयुक्त'' में इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक श्रम आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ग) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में, ''अधिष्ठाता'' का तात्पर्य ऐसे अधिष्ठान में नियोजित मजदूरों के नियोजक से है और इसमें उस स्थिति में, जहां नियोजक कम्पनी है, वहां प्रबन्ध निदेशक और जहां कोई फर्म है, वहां फर्म द्वारा इस निमित्त पदाभिहित भागीदार और किसी अन्य नियोजक की स्थिति में ऐसा कोई अधिकारी भी सम्मिलित है, जिसे उसकी सम्मति से, नियोजक ने इस निमित्त पदाभिहित किया हो और जिसका नाम नियोजक द्वारा श्रम आयुक्त को विहित प्रपत्र में विहित दिनांक तक सूचित किया गया हो;

(घ) ''मजदूरी बिल'' का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा अपने मजदूरों को देय मजदूरी की कुल धनराशि से है;

(ङ) ''मजदूरी'' का वही अर्थ होगा, जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में दिया गया है;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, दिनांक 20 मार्च, 1978 देखिये।

(च) ''मजदूर'' का वही अर्थ होगा, जो उस संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में दिया गया है;

(छ) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता को मजदूरी संदाय में व्यतिक्रम करने वाला समझा जायेगा, यदि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 में उपबन्धित अवधि के भीतर ऐसी मजदूरी का भुगतान न किया गया हो।

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी की भू—राजस्व की बकाया की तरह वसूली

3—— (1) जहां श्रम आयुक्त का समाधान हो जाय कि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता ने मजदूरी के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जिस मजदूरी बिल के सम्बन्ध में ऐसे अधिष्ठातान ने व्यतिक्रम किया है वह पचास हजार रूपए से अधिक का है, वहां वह धारा 5 और 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने हस्ताक्षर से, सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा देय मजदूरी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण—पत्र कलेक्टर को भेज सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि और उसके अतिरिक्त दस प्रतिशत की दर से वसूली खर्च, उस औद्योगिक अधिष्ठान से वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानों ऐसी धनराशि भू—राजस्व की बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी धनराशि, वसूली खर्च काट कर श्रम आयुक्त के व्ययन पर रख दी जायेगी, जो उसे उसके हकदार मजदूरों में बांटेगा या बंटवायेगा।

(4) जहां इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि, ऐसे मजदूरी बिल से, जिसके सम्बन्ध में अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है, कम ठहरे, वहां श्रम आयुक्त मजदूरों के विभिन्न प्रवर्ग में मजदूरी का ऐसा अनुपात या क्रमिक अनुपात, जैसा वह ठीक समझे, बांटे जाने का प्रबन्ध करेगा।

(5) मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में प्रत्येक मजदूर के प्रति अधिष्ठाता अपने दायित्व से उस धनराशि की सीमा तक उन्मुक्त हो जायेगा, जिसका संदाय इस धारा के अधीन ऐसे मजदूर को कर दिया जाय।

श्रम आयुक्त की शक्तियां

4—— किसी अधिष्ठान के मजदूरी बिल, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया गया है, को अभिनिश्चित करने के लिए श्रम आयुक्त को वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर होने के लिए बाध्य करने और शपथ पर उनका बयान लेने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त है और श्रम आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

शास्ति

5—— (1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान का अधिष्ठाता किसी समय एक लाख रूपये से अधिक किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध

6–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य–संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगाः

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा के कारण हुआ है तो उस कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी इस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तद्नुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ –

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण

7–– कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

8–– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 20, 1977

9–– (1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का सथासमय संदाय) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES) ACT, 1978[1]

[U. P. ACT NO. 5 OF 1978]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 30, 1978 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 11, 1978.

Received the assent of the Governor on April 16 1978 under Article 200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated April 18, 1978.]

AN

ACT

to provide, in the interests of maintenance of industrial peace, for timely payment of wages in bigger industrial establishments and for matters connected therewith;

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on December 12, 1977.

Definitions

2. In this Act--

(a) "Industrial establishment" means any factory, work-shop or other establishment in which articles are produced, processed, adopted or manufactured with a view to their use, transport or sale;

(b) "Labour Commissioner" includes an officer, not below the rank of an Assistant Labour Commissioner, authorized by him to discharge, exercise and perform the duties, powers and functions of a Labour Commissioner under this Act;

(c) "occupier" in relation to an industrial establishment, means the employer of workmen employed in such establishment, and includes in the case where the employer is a company the Managing Director and where it is a firm the partner designated in that behalf by the firm and in case of any other employer an officer designated in that behalf by the employer with his consent and whose name is intimated by the employer to the Labour Commissioner in the prescribed form by the prescribed date;

(d) "wage-bill" means the total amount of wages payable by an industrial establishment to its workmen;

(e) "wages" shall have the meaning assigned to it in the Payment of Wages Act, 1936;

---

1. For Statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated March 20, 1978.

(f) "workmen" shall have the meaning assigned to it in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947;

(g) an occupier of an industrial establishment shall be deemed to be in "default" of payment of wages if such wages are not paid within time as provided in section 5 of the Payment of Wages Act, 1936.

Recovery of wages in certain industrial establishment as arrear of land revenue

3. (1) Where the Labour Commissioner is satisfied that the occupier of an industrial establishment is in default of payment of wages and that the wage-bill in respect of which such occupier is in default exceeds fifty thousand rupees, he may, without prejudice to the provisions of sections 5 and 6, forward to the Collector, a certificate under his signature specifying the amount of wages due from the industrial establishment concerned.

(2) Upon receipt of the certificate referred to in sub-section (1), the Collector shall proceed to realize, from the industrial establishment, the amount specified therein, besides recovery charges at the rate of ten per cent, as if such amount were an arrear of land revenue.

(3) The amount realized under sub-section (2) shall, after deducting the recovery charges, be placed at the disposal of the Labour Commissioner who shall disburse the same or cause it to be disbursed among the workmen entitled thereto.

(4) Where the amount so realized falls short of the wage-bill in respect of which the occupier has been in default the Labour Commissioner may arrange for disbursement of such proportion or respective proportions of the wages due to various categories of workmen as he may think fit.

(5) The liability of the occupier towards each workman in respect of payment of wages, shall, to the extent of the amount paid to such workmen under this section stand discharged.

Power of Labour Commissioner

4. For the purposes of ascertaining the wage-bill of an establishment in respect of which default has been committed the Labour Commissioner shall have all the powers of a Civil Court, while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath and compelling the production of documents and shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Penalties

5. (1) No occupier of an industrial establishment shall, at any time, be in default of a wage-bill exceeding rupees one lakh.

(2) Every occupier who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but may extend to three years and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may for any adequate and special reasons to be recorded impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months.

Offences by companies

6. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, or other officer of the company, such managing agent, secretaries and treasurers, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purposes of this section,-

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection for action taken in good faith

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or purported or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder.

Rule making power

8. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and saving
U.P. Ordinance no. 20 of 1977

9. (1) The Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.